उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/4207 /लेखा　　　　　जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2025

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक 1/2/1/009/2025-GAD-3 दिनांक 30.04.2025, जो कि राज्य शासन के कर्मचारियों को वाहन भत्ते की दरों में पुनरीक्षण से संबंधित है, की प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0, खंडपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-----------------------------(म0प्र0)।
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय ---------------(समस्त)(म0प्र0)।
5. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन/ न्यायिक-1 एवं 2/डी0ई0/आईटी/सतर्कता/आई.एल./परीक्षा, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
8. डिप्टी रजिस्ट्रार कम पीपीएस, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
9. मेम्बर सेकेट्ररी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
11. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्टस, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार ____________(समस्त) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
13. डिप्टी रजिस्ट्रार ____________(समस्त) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
14. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ____________(समस्त) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
15. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ________________(समस्त) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
16. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/बजट/ अवकाश/पेंशन, वेतन पत्रक लेखा शाखा।
17. प्रभारी आई.टी. विंग, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय म0प्र0 की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

uploading 06/05/2025

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/2/1/0009/2025-GAD-3, भोपाल, दिनांक .04.2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त संभाग आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषय: वाहन/परिवहन भत्ते की पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक।
संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रं. सी-2/1/2/3/2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012.

इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा इस नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं श्रेणी के शासकीय सेवकों (कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि सहित) को रू. 200/- (दो सौ रूपये) प्रतिमाह तथा नि:शक्त कर्मचारियों को रू. 350/- (तीन सौ पचास) प्रतिमाह की दर से वाहन/परिवहन भत्ता उल्लेखित शर्तों के अध्ययाधीन स्वीकृत किया गया था।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा इन नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों (कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा सहित) को उपरोक्तानुसार उल्लेखित वाहन / परिवहन भत्ते की दर को पुनरीक्षित कर रूपये 384/- (तीन सौ चौरासी रूपये) प्रतिमाह तथा ऐसे नि:शक्त कर्मचारियों को रूपये 671/- (छ: सौ इकहत्तर रूपये) प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता स्वीकृत किया जाता हैं।

3/ वाहन/परिवहन भत्ते की स्वीकृति से संबंधित अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।

... 2

4/ यह आदेश दिनांक 01.04.2025 (भुगतान माह मई, 2025) से प्रभावशील होगा।

5/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा प्राप्त मंत्रि-परिषद के आदेश के आयटम क्रमांक 04, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुक्रम में लिए गए निर्णय अनुसार जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय कटेसरिया)
उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. 1/2/1/0009/2025-GAD-3, भोपाल, दिनांक .04.2025

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
7. अवर सचिव (स्थापना), सा.प्र.विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

Digitally signed by
Ajay Katesaria
Date: 30-04-2025
17:34:47